न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर
(पीठासीन अधिकारीः— सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

अपील संख्याः— 129/2019 (18 आयुध अधिनियम 1959) (RCMS No.2019/00146)

ओम प्रकाश पुत्र किशोरी लाल जाति सोनी निवासी बयानिया पाडा हिण्डौन जिला करौली।

.....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, करौली।

.....रैस्पोडैन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट करौली दिनांक 14.10.2019

उपस्थितिः—

1. श्री प्रमोद कुमार उपमन वकील अपीलान्ट।

निर्णय

दिनांकः 19.09.2022

उक्त अपील आयुध अधिनियम 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट करौली के निर्णय दिनांक 14.10.2019 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि पूर्व में अपीलान्ट ने जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट करौली के आदेश दिनांक 13.03.2015 जिसके द्वारा अपीलान्ट का शस्त्र अनुज्ञापत्र निरस्त कर दिया गया था, के विरूद्ध न्यायालय हाजा में अपील पेश की गई। जिसमें न्यायालय हाजा द्वारा बाद कार्यवाही निर्णय दिनांक 13.07.2018 पारित करते हुये अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार करते हुये प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया था कि अपीलान्ट को समुचित साक्ष्य सुनवाई का अवसर देते हुये पुनः निर्णय पारित किया जावे। तहत अदालत जिला मजिस्ट्रेट करौली द्वारा न्यायालय हाजा के रिमाण्ड आदेश दिनांक 13.07.2018 की पालना में प्रकरण में अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.10.2019 पारित किया गया। जिसमें यह मानते हुये कि शस्त्रधारक/अपीलान्ट द्वारा शस्त्र अधिनियमों की शर्तों का उल्लघंन किया गया है और अनुज्ञापत्र बहाल किया जाना उचित नहीं मानते हुये अपने पूर्व आदेश का यथावत रखा गया। इस आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रैस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत पत्रावली तलब की गई। रैस्पों0 की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ।

वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में मीमो आफ अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये तर्क दिया कि तहत अदालत का आदेश खिलाफ कानून रूयेदाद मिसिल है जो काबिले मंसूखी है। अदालत मातहत ने अपीलान्ट का अनुज्ञापत्र निरस्त करने में भारी भूल की है क्योंकि अपीलाधीन आदेश से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित व पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं किया। इसलिए उक्त आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। इसके अलावा अपीलान्ट के अनुज्ञापत्र को निरस्त करने से पूर्व अपीलान्ट के चरित्र बाबत् भी कोई रिपोर्ट नही मंगाई गई। अपीलान्ट के विरूद्ध न तो कोई आपराधिक मुकदमा ही दर्ज है और न ही किसी तरह का कोई आपराधिक रिकार्ड ही अदालत मातहत में प्रस्तुत हुआ है। अपीलान्ट एक सामाजिक सद्चरित्र व्यक्ति है। अपीलाधीन आदेश बेबुनियाद तथ्यों पर आधारित होने के कारण निरस्तनीय है। वकील अपीलान्ट ने यह भी

19.9.22
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

तर्क दिया कि अपीलान्ट लगभग 5–6 वर्षो से बीमार चला आ रहा है। इस बीमारी का इलाज जयपुर में चल रहा है और इलाज कराने के लिये अपीलान्ट को ज्यादातर जयपुर में ही रहना पड रहा है। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पंचायत चुनाव के मध्यनजर शस्त्र जमा कराये जाने के संबंध में अखबार में प्रकाशित सूचना की जानकारी नहीं हो पाई थी। क्योंकि उस समय अपीलान्ट अपना इलाज जयपुर में करवा रहा था। जिसकी पुष्टि में अपीलान्ट ने इलाज की पर्चियां अदालत हाजा में प्रस्तुत की हैं। जिला मजिस्ट्रेट करौली द्वारा आदेश दिनांक 13.03.2015 के द्वारा एक साथ कई अनुज्ञापत्रों को एक ही आदेश से निरस्त किया गया है जबकि प्रत्येक अनुज्ञापत्र के संबंध में नियमानुसार अलग–अलग आदेश पारित किया जाना आवश्यक था। अपीलान्ट द्वारा शस्त्र के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट करौली द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों की पालना की जाती रही है तथा पंचायत चुनाव के संबंध में जारी आदेश की जानकारी होते ही पुलिस थाना हिण्डौन में दिनांक 03.08.17 को शस्त्र जमा करा दिया गया था। परन्तु अदालत मातहत ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14.10.2019 पारित करते समय इस तथ्य पर गौर नहीं किया। इसके अलावा जिला मजिस्ट्रेट करौली द्वारा पूर्व में जारी आदेश दिनांक 13.03.2015 के विरूद्ध अदालत हाजा में अपील संख्या 487/17 उनवानी ओमप्रकाश बनाम सरकार पेश की गयी थी। जिसको अदालत हाजा द्वारा आदेश दिनांक 13.07.2018 को स्वीकार की जाकर जिला मजिस्ट्रेट करौली के आदेश दिनांक 13.03.2015 को निरस्त कर दिया था। निरस्त करते हुये प्रकरण इस निर्देश के साथ जिला मजिस्ट्रेट करौली को प्रतिप्रेषित किया था कि अपीलान्ट को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देकर गुणावगुण के आधार पर तार्किक, न्यायसंगत व स्पीकिंग आदेश पारित करें। इसके बावजूद जिला मजिस्ट्रेट करौली ने अदालत हाजा द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना नहीं कर, सरसरी कार्यवाही करते हुये अपीलान्ट का अनुज्ञापत्र निरस्त करने का आदेश अपीलाधीन आदेश के द्वारा पारित किया गया। जबकि अपीलान्ट के विरूद्ध न तो कोई आपराधिक प्रकरण ही दर्ज हुआ है और न ही अपीलान्ट द्वारा शस्त्र का कोई दुरूपयोग ही किया गया है। इसके अलावा अपीलान्ट का शस्त्र भी दिनांक 03.08.2017 से पुलिस थाना हिण्डौन में जमा है लेकिन इस तथ्य को नजरअंदाज कर अदालत मातहत ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.10.2019 इस आधार पर पारित किया है कि अपीलान्ट द्वारा पंचायत आम चुनाव–2015 में अपीलान्ट द्वारा शस्त्र जमा नहीं कराया गया है जबकि अपीलान्ट द्वारा अदालत मातहत में प्रस्तुत जबाब में यह स्पष्ट कर चुका था कि उपरोक्त अवधि में अपीलान्ट बीमार रहा है और जयपुर में अपना इलाज करवाया है इसलिए शस्त्र जमा नहीं करा सका था परन्तु अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य पर गौर नहीं कर पुनः उसी पुराने आधार पर तथा काल्पनिक अवधारणा लेते हुये अपीलाधीन आदेश पारित करने में भारी त्रुटी की है। उक्त आदेश पारित करने से पूर्व अदालत मातहत ने पुलिस अधीक्षक करौली की रिपोर्ट दिनांक 24.09.2019 को भी अनदेखा किया है जिसमें अपीलान्ट का शस्त्र अनुज्ञापत्र पुनः बहाल करने की अनुशंषा की गई थी। इस प्रकार अदालत मातहत का आदेश मनमाना है जो उनके समक्ष प्रस्तुत हुये तथ्यों को नजरअंदाज कर पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर पारित किया गया है जो निरस्तनीय है। अन्त में वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया कि अदालत मातहत का निर्णय अदालत हाजा द्वारा अपील संख्या 487/17 में दिये गये निर्णय दिनांक 13.07.2018 के अनुरूप नही होने के कारण अपील स्वीकार कर जिला मजिस्ट्रेट करौली द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.10.2019 निरस्त किया जावे तथा अपीलान्ट के शस्त्र अनुज्ञापत्र ... पुलिस अधीक्षक करौली से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 24.09.2019 के परिपेक्ष्य में ... करने के आदेश दिये जावे।

संभागीय आयुक्त

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की एक पक्षीय बहस सुनने व मनन करने तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली का अवलोकन करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि जिला मजिस्ट्रेट करौली द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14.10.2019 अदालत हाजा की ओर से अपील संख्या 487/17 में पारित आदेश दिनांक 13.07.2018 की पालना में पारित किया गया है। अदालत हाजा द्वारा अपीलान्ट की अपील को स्वीकार कर जिला मजिस्ट्रेट करौली की ओर से पारित आदेश दिनांक 13.03.2015 को अपीलान्ट की हद तक निरस्त कर इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया गया था कि अपीलान्ट को पुनः साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये निर्णय पारित करें। इस निर्णय की पालना में विद्वान जिला मजिस्ट्रेट करौली द्वारा पुलिस अधीक्षक करौली को पत्र दिनांक 15.07.19 के द्वारा अपीलान्ट अनुज्ञापत्रधारी के चरित्र सत्यापन एवं निरस्त/निलम्बित शस्त्र को पुनः बहाल किये जाने के संबंध में नियमों के अनुरूप जांच कर स्पष्ट अभिमत भिजवाने हेतु लिखा गया है। जिसकी पालना में पुलिस अधीक्षक करौली की ओर से पत्र दिनांक 24.09.2019 के द्वारा इस आशय की रिपोर्ट भिजवाई गई कि अभ्यर्थी के विरूद्ध कोई अभियोग पंजीबद्ध नहीं है और न ही कोई प्रकरण विचाराधीन न्यायालय है। थानाधिकारी हिण्डौन सिटी एवं वृत्ताधिकारी हिण्डौन सिटी द्वारा शस्त्र अनुज्ञापत्र को बहाल किये जाने की अनुशंषा की है। जांच रिपोर्ट के आधार पर शस्त्र अनुज्ञापत्र को बहाल किये जाने में अनापत्ति रिपोर्ट प्रेषित की गई। इसी प्रकार अपीलान्ट की ओर से दिनांक 10.08.2018 को जिला मजिस्ट्रेट करौली को अदालत हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.07.2018 की प्रति के साथ इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि अपीलान्ट वृद्ध व्यक्ति है, अकसर बीमार रहता है। लगातार बीमारी के कारण जयपुर में इलाज कराने के कारण बंदूक जमा नहीं करवा पाया था। भविष्य में उसके द्वारा गलती नहीं की जायेगी। अतः प्रार्थी का शस्त्र अनुज्ञापत्र बहाल किया जावे। प्रार्थी की बंदूक कोतवाली थाना हिण्डौन में जमा है।

विद्वान जिला मजिस्ट्रेट करौली द्वारा अदालत हाजा की ओर से पारित आदेश दिनांक 13.07.2018 की पालना में जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.10.2019 पारित किया गया है, उसमें न तो पुलिस अधीक्षक करौली से प्राप्त रिपोर्ट की ही विवेचना की गई है और न ही अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत जबाव में वर्णित तथ्यों के बारे में ही कोई विस्तृत विवेचन किया गया। वरन् अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14.10.2019 में यह उल्लेख करते हुये कि तत्समय की स्थिति के अनुसार न तो सभी शस्त्र अनुज्ञापत्र धारकों पर व्यक्तिगत तामील करवाई जा सकती थी और न ही व्यक्तिगत सुनवाई की जा सकती थी। अपीलान्ट द्वारा तय समय सीमा में शस्त्र जमा नहीं कराये गये तथा बीमारी से संबंधित कोई दस्तावेज साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया गया। अपीलान्ट वृद्ध व्यक्ति है एवं लकवा होने के कारण शस्त्र चलाने में सक्षम नहीं है। उनके पुत्र शस्त्र का उपयोग कर सकते हैं, जो कि न्यायोचित नहीं है एवं शस्त्र अधिनियम की शर्तो का उल्लंघन है। इस आधार पर शस्त्र अनुज्ञापत्र निरस्त किया जाना उचित मानते हुए अपीलान्ट का शस्त्र अनुज्ञापत्र निरस्त किया गया है, जो कि उचित नहीं कहा जा सकता है क्योंकि जिला मजिस्ट्रेट करौली द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.03.2015, जिसके द्वारा पंचायत चुनाव 2015 में अपीलान्ट की ओर से शस्त्र जमा नहीं कराये जाने के कारण अन्य अनुज्ञापत्रधारीगण के साथ–साथ अपीलान्ट का अनुज्ञापत्र भी अग्रिम आदेश तक निलम्बित किया गया था, के विरूद्ध अदालत हाजा में प्रस्तुत अपील में अदालत हाजा की ओर से पारित आदेश दिनांक 13.07.2018, जिसके द्वारा जिला मजिस्ट्रेट करौली के आदेश दिनांक 13.03.2015 को अपीलान्ट की हद तक निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया था कि अपीलान्ट

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देकर गुणावगुण के आधार पर तार्किक, न्यायसंगत व स्पीकिंग आदेश पारित करें, की पालना में उक्त आदेश पारित किया गया है। परन्तु जिला मजिस्ट्रेट करौली द्वारा उक्त आदेश में पुलिस अधीक्षक करौली से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 24.09.2019 के बारे में किसी तरह का कोई अभिमत अपीलाधीन निर्णय में नहीं दिया गया तथा पंचायत आम चुनाव–2015 के संबंध में जारी नोटिस को आधार मानकर ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। अपीलाधीन निर्णय में यह भी उल्लेख किया गया है कि अपीलान्ट द्वारा बीमारी से संबंधित कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये परन्तु अदालत मातहत की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विद्वान जिला मजिस्ट्रेट करौली द्वारा अपीलान्ट को किसी तरह का कोई नोटिस आदि जारी नहीं किया गया है। जबकि अदालत हाजा द्वारा निर्णय दिनांक 13.07.2018 में यह निर्देश दिये गये थे कि अपीलान्ट को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देकर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करें।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14.10.2019 अदालत हाजा की ओर से पारित आदेश दिनांक 13.07.2018 में दिये गये निर्देशों के अनुरूप नहीं है तथा अपीलान्ट के अनुज्ञापत्र का नवीनीकरण किये जाने के संबंध में पुलिस अधीक्षक करौली से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 24.09.2019 में वर्णित तथ्यों के बारे में भी कोई अभिमत नहीं दिया गया है। इसलिए अपीलाधीन निर्णय उचित नहीं कहा जा सकता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14.10.2019 निरस्त किया जाकर प्रकरण जिला मजिस्ट्रेट करौली को पुनः इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य व पुलिस अधीक्षक करौली की ओर से प्राप्त रिपोर्ट का पूर्ण परीक्षण करने के बाद नये सिरे से निर्णय पारित करें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 19.09.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सांवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर